352

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 27/2021

1. भीखाराम पुत्र हरनन्द
2. रामस्वरूप पुत्र हरनन्द
3. सरदारा पुत्र हरनन्द
   समस्त जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

............प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड

अ0 धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

–: निर्णय :– **दिनांक : 02–02–2023**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम लपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नंबर 274 रकबा 1 बीघा के खातेदार र्थीगण के पिता हरनन्द काबिज काश्त थे तथा अपने मकान बनाकर आबाद थे जो ाबन्दी संवत् 2012–2014, संवत् 2015–2018, संवत् 2022–2025, संवत् 2026–2029 में रिकार्ड है तथा अब प्रार्थीगण काबिज काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का नक्शा किश्तवार सन् 1961 सही बना हुआ है लेकिन हाल नक्शा किश्तवार संवत् 9–80 में प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा गलत बना दिया गया। हाल पैमाईश में गत रा नंबर 274 रकबा 1 बीघा से नया खसरा नंबर 455 रकबा 0.26 है. बनाया गया है नकी पूर्वी भुजा को हाल नक्शा ट्रेस संवत् 1979–80 में गत नक्शा ट्रेस सन् 1961 के सार नहीं बनाया गया। गत नक्शा किश्तवार व हाल नक्शा किश्तवार को एक दूसरे के र रखकर देखने से उक्त गलती साफ जाहिर होती है। हाल नक्शा ट्रेस संवत् 9–80 गत नक्शा ट्रेस सन् 1961 के अनुसार नहीं बनने से प्रार्थीगण को भारी लफी है इसलिए प्रार्थीगण हाल नक्शा ट्रेस संवत् 1979–80 को गत नक्शा ट्रेस सन् के अनुसार दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि हाल खसरा नंबर 455 ूर्वी भुजा को गत नक्शा ट्रेस सन् 1961 के अनुसार दुरूस्त करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्रांकः व/2022/1999 दिनांक 15–12–2022 से पटवारी हल्का नालपुर की मूल रिपोर्ट की है जो बिन्दुवार निम्नानुसार है कि :–

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

1352

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 455 रकबा 0.26 है. प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस खसरा में कोई भी आवासीय मकान नहीं है। एक कोटड़ी बनी है। मौके पर भीखाराम काबिज काश्त है।
2. प्रार्थी द्वारा वर्णित मकान भूमि खसरा नंबर 1938/318 रकबा 0.20 में बने है जो वन विभाग की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 451 रकबा 0.17 व खसरा नंबर 1932/318 रकबा 0.12 है. भी वन विभाग की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त तीनों वन विभाग के खसरों पर मौके के अनुसार प्रार्थीगण का पुराना कब्जा है।
3. प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 455 की पूर्वी सीमा वन विभाग के उक्त खसरा नंबरो से लगती है। मौके व उपलब्ध नक्शा शीट के अनुसार सीमा सही है।
4. चूंकि प्रार्थी का विवाद वन विभाग की सीमा को लेकर है अतः नक्शा दुरूस्त में वन विभाग की रिपोर्ट लिया जाना उचित होगा।
5. प्रार्थीगण के भूमि खसरा नंबर 455 की पूर्वी सीमा में परिवर्तन करने पर आस–पास के सभी खसरा नंबर में परिवर्तन होता है।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 425 ग्राम नालपुर, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत् 2043, संवत् 2026–29, संवत् 2022–25, संवत् 2012, फोटो प्रति नक्शा किश्तवार वर्ष 1961, नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 पेश किये।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र दिनांक 15–12–2022 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का नालपुर के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 455 की पूर्वी सीमा वन विभाग के खसरा नंबरो से लगती है, मौके व उपलब्ध नक्शा सीट के अनुसार सीमा सही हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के साबित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है लिहाजा

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner